कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-74/2016-17/

दिनांक : /02/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- चम्पावत

जिला- चम्पावत

विषय : क्षेत्र पंचायत चम्पावत का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **05** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 70/2016-17/ **दिनांक: /02/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट 62/31, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (,अडिट निदेशालय द्वितीयतल-, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

3- जिला पंचायतराज अधिकारी, चम्पावत

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, क्षे.पं.- चम्पावत, जनपद- चम्पावत पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड़ विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) - प्रमुख, क्षेत्र पंचायत

(ii) किशन सिहं बोरा खण्ड़ विकास अधिकारी (प्रभारी)

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री मनोहर सिहं, लेखापरीक्षक

(ii) श्री एल.एस.लिगंवाल, स.ले.प.अ. .

(iii) श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 02.12..2016 से 09.12..2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि :2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं.- चम्पावत, जनपद- चम्पावत**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या हैः-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः113

भौगोलिक क्षेत्र :-471.2 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 20522

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 02

4- (ब) उपसमितियों , स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक कोई नही

5- कर्मचारियों की संख्या 16

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायती राज के अपने प्रोजेक्ट :--

8- योजनाओं की संख्या

9- (अ) सामाजिक संरक्षाः-

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धितः-

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें

(द) लाभार्थियों की संख्याः-

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय अनुसार व्यय विवरण के-

(अ)-सामान्यः भाग 3 के अनुसार

(ब) योजनाओं पर प्रत्येक योजना का अलगएवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये। (अलग दर्शाया जाये-

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है -

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- चम्पावत, जनपद- चम्पावत** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री बी. एस.चन्देल व.ले.प.अ.श्री विजय बडथ्वाल,स.ले.प.अ..श्री केदार सिहं स.ले.प.अ.एवं श्री लक्ष्मणसिहैं वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.11.2016 से 25.11.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0

+	**प्रस्तर भाग 4(ब)-1**	**प्रस्तर भाग 4(ब)-2**	**STAN**
(i)महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर AIR-431/2014-15		प्रस्तर-1602 -	प्रस्तर-01.42

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: - शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख: - शून्य

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1 :- विभिन्न मदों में ` 170.37 लाख के स्वीकृत कार्यों का अपूर्ण/अनारम्भ रहना।

प्रत्येक मद से संबंधित धनराशि संक्रमित करने वाले शासनादेश में स्पष्ट रुप से निर्देशित रहते है कि संक्रमित धनराशि का उपयोग उसी वित्त वर्ष में किया जाना चाहिये जिसके लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा जिन कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है उन कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना भी संबंधित इकाई की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।

इकाई की कार्य पंजिकाओं एवं विभिन्न मदों से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न मदों में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान स्वीकृत कार्यों में से 104 कार्य(मदवार सूची संलग्न) जिनके लिए ` 170.37 लाख स्वीकृत थे एवं उन पर ` 47.19 लाख व्यय होने के उपरान्त भी, अभी भी अपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा में इस संबंध में इकाई का ध्यान दिलाये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा गया कि योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है एवं शीघ्र ही पूर्ण करा लिये जायेगे,

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की एक समान सीमा निर्धरित रहती हैं किन्तु किसी भी कार्य हेतु (6) माह से अधिक का समय नही होता है, जबकि उक्त कार्यों को लगभग एक वर्ष से दो वर्ष हो चुके है।

अतः ` 170.37 लाख के स्वीकृत कार्यों के अपूर्ण रहने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तरः-2 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि ` 279.86 लाख का अप्रयुक्त रहना

क्षेत्र पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा स्थाई सम्पत्तियों के विकास क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, सड़कों के निर्माण, पीने का पानी उपलब्ध कराने, गरीबों व जरुरत मन्द परिवारों के उत्थान एवं स्वच्छता इत्यादि कार्य कराने के उद्देश्य से धनराशि का आवंटन किया जाता है ताकि उक्त धनराशि से उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके।

इकाई के लेखों अभिलेखों एवं आय व्यय विवरण से ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त में इकाई के पास विभिन्न मदों में निम्न विवरणानुसार धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी,

क्र.स.	योजना का नाम	अप्रयुक्त धनराशि `
1.	वी.ए.डी.पी.	10,33,446
2.	सांसद निधि	10,04,134
3.	क्षे.पं.वि.निधि	6,76,487
4.	विधायक निधि	1,79,95,298
5.	राज्य वित्त आयोग	15,11,214
6.	13 वाँ वित्त आयोग	9,53,447
7.	दैवीय आपदा	8,52,893
8.	रा.सम.विकास	3,13,625
9.	वी.आर.जी.एफ.	4,39,922
10.	जिला योजना	9,97,762
11.	मेरा गांव मेरी सड़क	17,76,806
12.	यू.वी.पी.डी.एफ.	4,31,041
	योग-	2,79,86,075

उपरोक्त विवरण के अवलोकन को स्पष्ट है कि अकेले विधायक निधि से ही लगभग `1.80 करोड़ की धनराशि अप्रयुक्त थी जबकि दैवीय आपदा, बी.आर.जी.एफ. व सम विकास योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य अपूर्ण या अवशेष नहीं था फिर भी इन मदों में धनराशि अप्रयुक्त थी जबकि नियमानुसार इस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था।

इस संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर दिलाये जाने पर इकाई का कहना था कि माननीय विधायक जी से जन पद स्तर पर प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण योजना स्वीकृति में

विलम्ब हुआ होने के कारण तथा दैवीय आपदै की वी.आर.जी.एफ.व सम विकास योजनाओं में ठेकेदार से काटी गई आयकर व बिक्रीकर से संबंधित राशि है जिसे जमा करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त धनराशि का अप्रयुक्त रहना स्पष्ट करती है कि क्षेत्रपंचायत इन अनुदानों के उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रहा है तथा ठेकेदारों के विलों से काटी गई आयकर व व्यापार कर/ बिक्रीकर की राशि जिसे कि अतिशीघ्र राजकोष में जमा कर दिया जानाचाहिए था

अतः इकाई के लेखों में विभिन्न मदों के अंतर्गत ` 279.86 लाख का अप्रयुक्त रहन

एंव आयकर व बिक्री कर की राशि को राजकोष में जमा न करने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तरः-3 व्याज प्राप्ति के ` 8.81 लाख का राजकोष में जमा न किया जान।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 347/वि.आ.नि.दे.(तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17-01-2013 के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि जो कि लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण बैकों में जमा रहती है, पर प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि को राजकोष।(मु.ले.शीर्ष-0049)में जमा करा दिया जाना चाहिए,

इकाई को वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 दौरान निम्न विवरणानुसार विभिन्न बैंक खातों से व्याज प्राप्त हुआ हैः

वर्ष 2014-15 से पूर्व का ब्याज = ` 23,23,947=00

वर्ष 2014-15 में प्राप्त ब्याज = ` 11,70,436=00

वर्ष 2015-16 में प्राप्त ब्याज = ` 10,83,060=00

कुल योग= **` 45,77,44300**

उक्त धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने के संबंध में पूधे जाने पर इकाई का कहना था कि ` 34,31,630/- को राजेकोष में जमा कर दिया गया है जबकि ` 3,22,336/- को बैंक को वापस व ` 8,17,767/- को शीध्र ही राजकोष में जमा करा लिया जायेगा।

अतः ` 8.18 लाख ब्याज प्राप्ति को राजकोष में जमा न करने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा है

भाग 4(ब)2

प्रस्तरः-4 ` 65.45 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषित न किया

शासन द्वारा समस्त मदों हेतु संक्रमित धनराशि से संबंधित शासनदेशों में स्पष्ट निर्देश रहते है कि संक्रमित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निर्धरित तिथि तक जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से शासन को भेजना सुनिश्चित करें संक्रमित धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि प्राप्त हुई थी

मद का नाम	वर्ष	प्राप्त धनराशि(` लाखों में)
13 वाँ वित्त	2014-15	25.53 लाख
राज्य वित्त	2015-16 2015-16	50.36 लाख 50.96 लाख
क्षेत्र पंचायत विकास निधि	2014-15 2015-16	7,23,685 7,24,335

उक्त प्राप्त धनराशियों के उपयोग प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजं जाने के संबंध में लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर इकाई का उत्तर था कि 13वाँ वित्त एवं राज्य वित्त से संबंधित प्राप्त धनराशि के वर्ष 2014-15 के उपयागिता प्रामाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को भेज दिये गये है, किन्तु क्षेत्र पंचायत निधि से संबंधित धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र के संबंध में इकाई ने कोई उत्तर नही दिया है। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि क्षेत्र पंचायत विकास निधि का वर्ष 2014-15 एवं दोनों ही मदों (रा.वि. एवं क्षे.प.वि.नि.) के वर्ष 2015-16 के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी भी जिला पंचायत राज अधिकारी को नही भेजे गये है।

अतः ` 65.45 लाख के उपभोग प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को नही भेजे जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तरः-5- ` 1.35 लाख की सामग्री का बिना कोटेशन के आधार पर क्रय करना

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय-02 नियम-09 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर ` 50,000/- से अधिक तथा ` 3.00 लाख तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्पक रुप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जाना चाहिए

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निम्न कार्यों में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ` 50,000/- से अधिक होने के उपरान्त भी निर्माण कार्यों हेतु सामग्री का क्रय विना क्रय समिति की संस्तुति या विना कोटेशन के आधार पर किया गया था, विवरण इस प्रकार हैः

क्र.स.	**मद का नाम**	**कार्य का विवरण**	**कुल व्यय की गई धनराशि**	**सामग्री का मूल्य**
1.	**विधायक निधि**	**स्वाला के रामलीला मैदान में चेंजिंग रुम निर्माण कार्य**	**2.00 लाख**	**66165=00**
2.	**राज्य वित्त**	**वसानी गोठ से अगंतरिक सी.सी. मार्ग निर्माण**	**1.94 लाख**	**68950=00**
		योग		**135115=00**

इस संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इकाई का ध्यान दिलाये जाने पर इकाई का कहना था कि क्रय समिति का गठन शीध्र ही कर लिया जायेगा, तथा कोटेशन आमंत्रण के संबंध में भविष्य में ध्यान रखा जायेगा,

इकाई का उत्तर मान्य नही था क्योंकि यह सरासर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रावधनों के सर्वथा विपरीत था, साथ ही क्रम समिति का गठन नहीं होने के कारण सामग्री क्रय करना एक गम्भीर अनियामितता की ओर इशारा करता है।

अतः ` 1.35 लाख की लागत की सामग्री का क्रय विना कोटेशन के आधार पर किये जाने संबंधी प्रकरण को उच्च अधिकारीयों के संज्ञान में लाया जा रहा है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड़ विकास अधिकारी **चम्पावत**, **जिला-चम्पावत,** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0